न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 00005/2019

उनवान

1. स्व. लील पत्नि स्व. कचरिया तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा के वारिसान पूर्व से पक्षकार।
2. गलबा पिता स्व. कचरीया तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।
3. डूंगर पिता स्व. कचरीया तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. राजु पिता स्व. कचरीया तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादीगण

बनाम

1. रतन पत्नि प्रेमजी तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30.12.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 3919 रकबा 0.04 एयर वाके ग्राम बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। वादीगण की उपरोक्त भूमि पैतृक होकर वादीगण के परिवार की वंशावली निम्नानुसार है :—

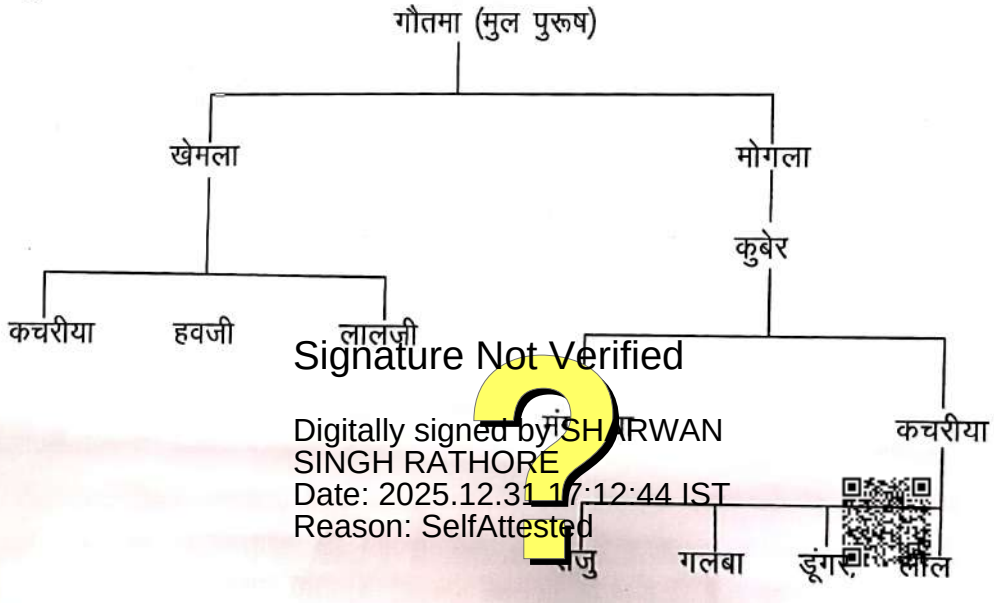

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण कचरीया की बेवा एवं पुत्र होकर उक्त आराजी की भूमि पैतृक बटवारे मे वादीगण के हक मे आई थी लेकिन खाते में कचरिया के नाम रह जाने से प्रतिवादी नम्बर 01 ने फर्जी तरीके से अपने नाम हस्तान्तरीत करवा दी जबकि मौके पर आज भी वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

कब्जा होकर वादीगण ही इसका उपयोग एवं उपभोग कर रहे है । प्रतिवादीया ने 2015 में वादीगण के विरूद्ध 188 का वाद न्यायालय मे प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा कब्जो के अभाव मे निरस्त कर दिया गया था जिस पर प्रतिवादी नम्बर 01 ने 183 रा.का.अ. के तहत पुनः वाद प्रस्तुत किया है । जिसमें प्रतिवादीया ने ही वादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया है । इस प्रकार प्रतिवादीया द्वारा बिना कब्जा जो विक्रय पंजीयन करवाया गया है, वह अपने आप शून्य होकर प्रभावहीन है। वादीगण के कब्जे की उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीया आये दिन लडाई झगडा कर कब्जा करने का प्रयास कर वादीगण को कब्जे से बेदखल करने को आमादा है। जिस वजह से प्रतिवादीया को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। वादीया की उक्त पैतृक भूमि पर वादीगण के अलावा किसी अन्य का कोई हक व अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादीया आये दिन वादीगण को उसकी उक्त खसरा नम्बर की भूमि से बेदखल करने आमादा है । जिस वजह से वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा कचरीया से फर्जी तरीके से करवाया गया बेचाननामा बिना कब्जे व अधिकार होने से प्रभावहीन होने से शून्य घोषित करना आवश्यक होने से उसे शून्य घोषित किये जाने। वादीगण को वाद हेतु दिनांक 05/07/2018 को मौके पर प्रतिवादीया द्वारा तहसीलदार इत्यादी को लाकर जबरन मौके पर निर्माण की कोशिन करने व बावजुद रोकने के नही मानने से उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादीया को बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने, निर्माण करने से रोका जाना आवश्यक है। यदि प्रतिवादीया ऐसा करने मे कामयाब हो जाती है तो वादीगण प्राकृतिक न्याय से वंचित होकर अपनी सम्पति के उपयोग व उपभोग से एवं अपने संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो जायेगे और वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका रुपयों मे मुल्यांकन संभव नही है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार कर प्रतिवादीया द्वारा करवाया गया बैचाननामा दिनांक 11/07/2009 को शून्य घोषित किये जाने, वाद पत्र के पेरा नम्बर 01 मे बताई भूमि आराजी सर्वे नम्बर 3919 रकबा 0.04 एयर का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने, दौराने कार्यवाही प्रतिवादीया निर्माण, अतिक्रमण इत्यादी करे तो उसे पुनः बहाल किया जाकर निर्माण हटाया जाने तथा प्रतिवादीया को स्थाई निषेधाज्ञा से निर्माण, अतिक्रमण आदि से रोके जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीया को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीया की ओर से श्री तस्लीम अहमद अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीया की ओर से जवाब मय काउंटसुट पेश कर कथन किया कि आराजी सर्वे नं. 3919 रकबा 0.04 है. वाके ग्राम बोरी प्रतिवादी सं. 1 ने खातेदार कचरीया से रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की जिसका नामान्तरकरण सं. 1979 दिनांक 07.10.2013 विधि अनुकुल प्रतिवादी सं. 1 के नाम खोला गया है एंव प्रतिवादी सं. 1 विधि अनुकुल खातेदार है। उक्त भूमि कचरीया पिता खेमला के खातेदारी की थी। जिसे कचरीया ने प्रतिवादी सं. 1 श्रीमती रतन को विधि अनुकुल विक्रय की है। वादीगण कचरिया पिता श्री खेमला की वंशावली मे नहीं आते है । जिसकी वादीगण द्वारा दर्शित वंशावली से पुष्टि होती है। जिस कारण वादीगण का वाद कानूनन मेन्टेनेबल न होकर काबील निरस्ती के है। वादीगण का यह कथन कि उक्त भूमि पैतृक बटवारे में वादीगण के हक मे आई परन्तु [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ने फर्जी तरीके से अपने नाम हस्तान्तरित करवा दी। [illegible] आज भी वादीगण का कब्जा होकर वादीगण ही इसका [illegible] मनगढन्त व मिथ्या है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त खाता कचरीया [illegible] कचरीया पिता खेमला द्वारा विधि अनुकुल विक्रय कर हस्तान्तरित की गई है ऐसी [illegible] मे वादीगण के हक व अधिकार समाप्त हो चुके है जिस कारण वादीगण का वाद काबील निरस्ती के है । प्रतिवादी सं. 1 ने विधिवत कब्जा प्राप्त कर रजिस्ट्री करवाई है एंव मौके पर प्रतिवादी सं. 1 के बोल्डर पडे हुए है एंव प्रतिवादी सं. 1 मौके पर फेन्सिंग व दीवाल बनाने जाने पर वादीगण मौके पर विवाद कर प्रतिवादी सं. 1 के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न करते

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

है जिसका वादीगण को कोई अधिकार नहीं है । वादीगण का यह कथन कि विक्रय पत्र अपने आप मे शून्य है विधि विरूद्ध है। क्योकि विक्रय पत्र को निरस्ती के अधिकार सिविल न्यायालय को है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद कानूनन पौषणीय न होकर काबील निरस्ती के है । मौके पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है जिसका दस्तावेज व रिपोर्ट से भी पुष्टि होती है वादीगण का कब्जा ही नहीं है तो बेदखल का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है खाते व कब्जे के अभाव में वादीगण का वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कानूनन पोषणीय नहीं होने से काबील निरस्ती के हैं वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे व उपयोग उपभोग मे बाधा व रूकावट उत्पन्न कर बोल्डर की बाउन्ड्री व फेन्सींग नहीं करने देने से वादीगण के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधियिम काउन्टरसुट पेश है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि नहीं है । प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी व कब्जे की है मौके पर विधि अनुकुल प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र निरस्त कराने के पश्चात् ही खातेदारी का वाद ला सकते है क्योकि खातेदार के खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष वादीगण प्राप्त नही कर सकते है। वादीगण का यह कथन कि प्रतिवादी द्वारा कचरिया से फर्जी तरीके से करवाया गया बेचाननामा प्रभावहीन व शून्य घोषित करना आवश्यक होने से शून्य घोषित करने का कथन मनगढन्त व मिथ्या तथा कानून के परे है फर्जी दस्तावेज को शून्य घोषित करने के अधिकार सिविल न्यायालय को होने से वादीगण का वाद कानूनन पौषणीय न होकर काबील निरस्ती के है । दिनांक 05.07.2018 को कोई वाद हेतु उत्पन्न नही होता है। मौके पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है एंव प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण बाउण्ड्रीवाल बनाने मे बाधा, रूकावट व विवाद पैदा कर रहे है। जिस कारण प्रतिवादी सं. 1 द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे काउन्टसुट पेश है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का कोई कब्जा नहीं है ऐसी स्थिति में वादीगण किसी प्रकार से सवैधानिक अधिकारो से वंचित नहीं होगा एंव न ही वादीगण को क्षति होगी जिसका रूपयो मे मुल्यांकन नही हो सकता क्योकि मौके पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है एव वही उपयोग उपभोग कर रही है प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण विवाद कर बेदखल का प्रसाय कर रहे है जिस कारण प्रतिवादी सं. 1 अपनी भूमि से वंचित हो जावेगी वाद की बाहुल्यता बढ जायेगी जिससे प्रतिवादी सं. 1 को असीम क्षति होगी लिहाजा वादीगण का वाद काबील निरस्ती के है। पंजीकृत विक्रय पत्र के निरस्ती के अधिकार सिविल न्यायालय को होने से वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार से परे होकर काबील निरस्ती के है। प्रतिवादी सं. 1 विरूद्ध वादीगण के काउन्टरसूट पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी सर्वे नं. 3919 रकबा 0.04 है. वाके ग्राम बोरी जिस पर प्रतिवादी सं. 1 काबीज होकर शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग कर रही है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के बोल्डर पडे है प्रतिवादी सं. 1 उक्त बोल्डर से दीवाल व फेन्सींग करना चाहती है। जिसे वादीगण संख्या में अधिक होने से डरा धमका कर लडाई झगडा कर रोक रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त काउन्टरसूट धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे विरूद्ध वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 के कार्य मे बाधा व रूकावट स्वयं व अपने प्रतिनिधी से न करवाये इस हेतु बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश [illegible] काउन्टरसुट का व्यवहार कारण वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने से उत्पन्न [illegible] है। [illegible]वादी सं. 1 का काउन्टरसुट स्वीकार कर वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] इस आशय की जारी किये जाने कि वादीगण स्वयं या उनके प्रतिनिधि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी व कब्जेकाश्त के आराजी सर्वे नं. 3919 रकबा 0.04 है. वाके ग्राम बोरी [illegible] शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न न करे, न लडाई झगडा करे, न प्रवेश कर, न ही प्रतिवादी सं. 1 फेन्सींग निर्माण को रोके एंव अन्य न्यायोचित अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी सं. 1 को दिलाये जाने साथ ही काउन्टसुट व्यय व अभिभाषक व्यय भी दिलाये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

वादीगण द्वारा काऊण्टर सूट का जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त वर्णित आराजी की भूमि पर वादीगण का कब्जा है। मौके पर काश्त नही है तथा प्रतिवादी का कोई हक एवं अधिकार नही है । उक्त भूमि मुल खातेदार श्री गौतमा की होकर गौतमा की वंशावली निम्नानुसार है।

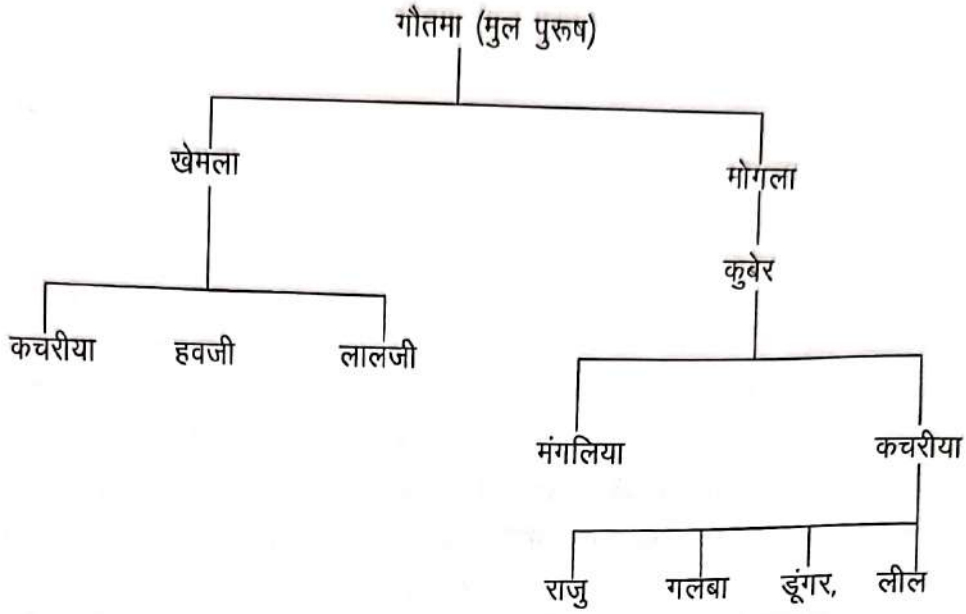

उक्त भूमि पैतृक बटवारे में कचरीया पिता कुबेर के आई थी परन्तु सेवन से नाम कचरीया पिता खेमला का नाम रह जाने से प्रतिवादी ने बैचाननामा करवा लिया है। मौके पर प्रतिवादी का कब्जा नही है, न ही उसका कोई अधिकार है। अतः प्रतिवादी का काऊण्टर सूट सव्यय खारीज किये जाने का निवेदन किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं वाद के संलगन प्रस्तुत दस्तावेज तथा प्रतिवादीया द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जवाब के संलगन प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण में तनकियात् कायम की गई।

प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत किये जाने पर वादी साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत किये:–

नाम	जाति	निवासी	ग्वाह
राजु पिता स्व. कचरीया	सरगडा	बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।	PW-1

प्रकण में राजु पिता स्व. कचरीया तिरगर जाति सरगडा PW-1 द्वारा शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 3919 रकबा 0.04 एयर वाके ग्राम बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। वादीगण के परिवार वंशावली निम्नानुसार हैं :–

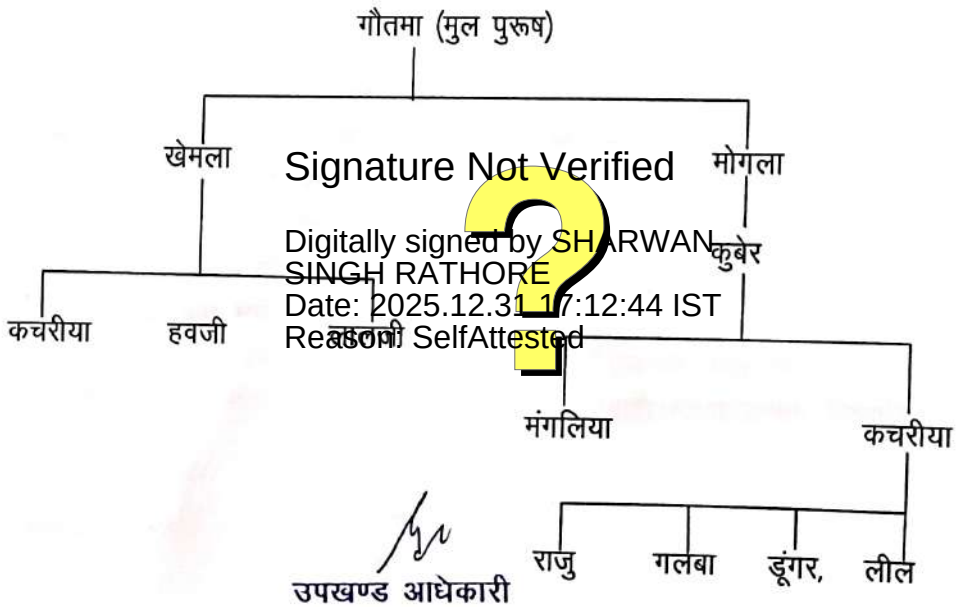

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड आधेकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

मैं कचरीया का पुत्र हुँ और अन्य वादी बेवा व संताने है और उक्त आराजी की भूमि पैत्रक होकर बटवारे में वादीगण के हक में आयी थी लेकिन खाते में कचरीया का नाम रह जाने से प्रतिवादी संख्या 1 ने फर्जी तरीके से अपने नाम हस्तान्तरित करवा दी जबकि मौके पर आज भी वादीगण का कब्जा होकर वादीगण ही इसका उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। प्रतिवादीगण ने वर्ष 2015 में वादीगण के विरूद्ध 188 का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो न्यायालय ने कब्जे के अभाव में खारीज कर दिया था। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ने 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पुनः वाद प्रस्तुत कीया है। जिसमें प्रतिवादीगण ने ही वागदीण का कब्जा होना स्वीकार है इस प्रकार प्रतिवादीया द्वारा बिना कब्जा जो विक्रय पंजीयन करवाया गया है वह अपने आप शुन्य होकर प्रभावहीन है। वादीगण के कब्जे की उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीया आये दिन लडाई झगडा कर कब्जा करने का प्रयास कर वादीगण को कब्जे से बेदखल करने को आमादा है जिस वजह से प्रतिवादीया को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। वादीया की उक्त पैत्रक भूमि पर वादीगण के अलावा किसी अन्य का कोई हक व अधिकार नहीं है, परन्तु प्रतिवादीया आये दिन वादीगण को उसकी उक्त खसरा नम्बर की भूमि से बेदखल करने आमादा है। जिस वजह से वादीगण को खातेदार घोषित करना आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा कचरीया कर फर्जी तरीके से करवाया गया बेचाननामा बिना कब्जे व अधीकार होने से प्रभावहीन होने से शुन्य घोषित करना आवश्यक है। वादीगण का वाद हेतु दिनांक 5.7.2018 को मौके पर प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार इत्यादी को लाकर जबरन मौके पर निर्माण की कोशिश करने व बावजुद रोकने के नहीं मानने से उत्पन्न हुआ है।

- **PW-1** राजु पिता कचरीया जाति तिरगण द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो इस प्रकार है। खाते की पासबुक मय नक्षा प्रदर्श–01 है। प्रतिवादी को जिस कचरीया ने भूमि विक्रय की थी उसका शपथ–पत्र प्रदर्श–02 हैं। गवाह राजु से प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि डायरी मेरे खातेदार मेरे पिता कचरिया मंगलिया हवजी कचरीया थी। कचरिया खेमला मेरे दादा थे। कचरिया कुबेर मेरे पिता थे। यह कहना सही है कि प्रतिवादी रतन ने यह जमिन कचरिया खेमला से खरिदी। रतन का खाता केसे खुला यह मैं नहीं जानता। अजकुत कहा खाते में 07 खातेदार थे। इस मे से किसी ने बेच दी। रजिस्ट्री पर कचरिया का फोटो का फोटो लगा हो तो में नहीं जानता। यह बात गलत है कि मैं कचरिया/खेमला की वंशावली में नहीं आता हूँ। यह बात सही है कि मैं कचरिया का पुत्र नहीं हूँ। यह बात सही है कि मैं कचरिया/खेमला का पुत्र नहीं हूँ। यह बात सही है कि पासबुक के सर्वे नम्बर आज मुझे याद नहीं है। फर्जी तरिके से रजिस्ट्री की रिपोर्ट हमने थाने में नहीं की अचकुत कहा कचरिया जिसने रजिस्ट्री की थी उसी ने कहा की आपस में बैठकर निपट लेंगे थाने नहीं जाना है। मेरे पिता जी कुबेर के बेटे थे। यह बात सही है कि हमने रजिस्ट्री खारीज का कोई दावा नहीं किया। यह बात सही है कि शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज दावे में पेश नहीं किया है। यह मुझे नहीं पता की वर्तमान में खाता किसका है यह बात गलत है कि दावा क्यों लगाया मुझे [illegible]। यह बात गलत है कि मौके पर प्रतिवादी के पत्थर [illegible] है कि मौके पर प्रतिवादीया बाउण्ड्री बना[illegible] हो। झगडे की तारीख मुझे याद नहीं है। यह बात गलत है कि मैंने [illegible] से कब्जा लेने हेतु झुठा दावा किया है। यह बात सही कि मैने मेरे खाते की [illegible] नकल पेश नहीं की है।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित गवाह प्रस्तुत कियेः–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
रतन पत्नी प्रेमजी तिरगर	सरगडा	बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।	DW-1

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में रतन पत्नी प्रेमजी DW-1 द्वारा शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि आराजी सर्वे नं. 3919 रकबा 0.04 है. वाके ग्राम बोरी मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने खातेदार कचरीया से रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की जिसका नामान्तरकरण सं. 1979 दिनांक 07.10.2013 विधि अनुकुल मुझ प्रतिवादी सं. 1 के नाम खोला गया है एंव मै प्रतिवादी सं. 1 विधि अनुकुल खातेदार हूँ। उक्त भूमि कचरीया पिता खेमला के खातेदारी की थी जिसे कचरीया ने मुझ प्रतिवादी सं. 1 श्रीमती रतन को विधि अनुकुल विक्रय की है वादीगण कचरीया पिता खेमला की वंशावली मे नहीं आते है । जिसकी वादीगण द्वारा दर्शित वंशावली से पुष्टि होती है। उक्त खाता कचरीया पिता खेमला का था एंव कचरीया पिता खेमला द्वारा विधि अनुकुल विक्रय कर हस्तान्तरित की गई है ऐसी स्थिति में वादीगण के हक व अधिकार समाप्त हो चुके है। मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने विधिवत कब्जा प्राप्त कर रजिस्ट्री करवाई है एंव मौके पर मुझ प्रतिवादी सं. 1 के बोल्डर पडे हुऐ है एंव मै प्रतिवादी सं. 1 मौके पर फैन्सिंग व दीवाल बनाने जाने पर वादीगण मौके पर विवाद कर मुझ प्रतिवादी सं. 1 के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग मे बाधा व रूकावट उत्पन्न करते है । जिसका वादीगण को कोई अधिकार नहीं है । वादीगण का यह कथन कि विक्रय पत्र अपने आप में शून्य है विधि विरूद्ध है क्योकि विक्रय पत्र को निरस्ती के अधिकार सिविल न्यायालय को है। वादीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। मौके पर मुझ प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है एंव बोल्डर पडे है एंव मै प्रतिवादी सं. 1 शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग कर रही है जिसका दस्तावेज व रिपोर्ट भी पुष्टि होती है मौके पर वादीगण का कब्जा ही नहीं है न खाता है ऐसी स्थिति में खाते व कब्जे के अभाव में वादीगण का वाद कानूनन पौषणीय नहीं होने से काबील निरस्ती के है । वादीगण मुझ प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे व उपयोग उपभोग में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर बोल्डर की बाउन्ड्री व फेन्सींग नहीं करने देने से मैने वादीगण के विरूद्ध 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काउन्टरसुट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि नहीं है मुझ प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी व कब्जे की है मौके पर विधि अनुकुल मुझ प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र निरस्त कराने के पश्चात् ही खातेदारी का वाद ला सकते है क्योकि खातेदार के खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष वादीगण प्राप्त नहीं कर सकते है। फर्जी दस्तावेज को शून्य घोषित करने का अधिकार सिविलि न्यायालय को होने से वादीगण का वाद कानूनन पौषणीय न होकर काबील निरस्ती के है। दिनांक 05.07.2018 को कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता है। मौके पर मुझ प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है एंव प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण बाउण्ड्रीवाल बनाने मे बाधा, रूकावट व विवाद पैदा कर रहे है। जिस कारण काउन्टरसुट का व्यवहार कारण उत्पन्न हुआ है । मै शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि, वादीगण मुझ प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का कोई खाता व कब्जा नहीं है । ऐसी स्थिति में वादीगण किसी प्रकार से सवैधानिक अधिकारो से वंचित नहीं होगा एंव न ही वादीगण को क्षति होगी जिसका रूपयो में मुल्यांकन नहीं हो सकता क्योकि मौके पर मुझ प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा है एंव वही उपयोग उपभोग कर रही है। मुझ प्रतिवादी सं. 1 से वादीगण विवाद कर मुझे बेदखल का प्रयास कर रहे है। जिस कारण प्रतिवादी सं. 1 अपनी भूमि से वंचित हो जाउगी व वाद की बाहुल्यता बढ़ जायेगी जिससे प्रतिवादी सं. 1 को असीम क्षति होगी। लिहाजा वादीगण का वाद काबील निरस्ती के है। प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त का आराजी सर्वे नं. 3919 रकबा 0.04 है. वाके ग्राम बोरी जिस पर मैं प्रतिवादी सं. 1 काबीज होकर शांतिपूर्ण उपयोग कर रही हूँ जिसमे मुझ प्रतिवादी सं. 1 के बोल्डर पडे है मै प्रतिवादी सं. 1 उक्त बोल्डर से दीवाल व फेन्सींग करना चाहती हूँ जिसे वादीगण संख्या मे अधिक होने से डरा धमका कर लडाई झगडा कर रोक रहे है। जिस कारण मेरा काउन्टरसूट स्वीकार कर वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी संख्या 01 को अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

- DW-1 रतन पत्नि प्रेमजी तिरगर द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो इस प्रकार है। दस्तावेज विक्रय पत्र जो कचरिया से खरीदा प्रदर्श A–1 है। रजिस्ट्री के आधार पर खाता जमाबन्दी में दर्ज हुआ जो प्रदर्श A–2 संवत् 2075–77 है। गवाह रतन से वादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि मै नहीं जानती की खेमला व मौगला भाई है। यह बात सही है कि खेमला के तीन पुत्र हबजी, कचरिया, लालजी है यह बात सही है कि मोगला का एक पुत्र कुबेर है। यह बात सही है कि कूबेर के दो पुत्र मंगलिया व कचरिया थे। यह मुझे याद नहीं जमीन का आराजी नम्बर क्या है लेकिन मेरी जमीन 4 एयर है। यह बात सही है कि मैने खेमला व मोगला बटवारानामा नहीं देखा। यह बात सही है कि वादग्रस्त भूमि का सीमांकन करने तहसीलदार व पटवारी आये थे। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर सीमांकन में 4 एयर जमीन नहीं हुई हो। अजखुद कहा की 4 एयर जमीन नापकर मुझे दी थी। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के पत्थर हो। यह बात गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा हो। यह बात गलत है कि 2015 में मैंने वादीगण के विरूद्ध दावा पेश किया हो और कब्ज के अभाव में खारीज हुआ हो। यह बात गलत है कि मैने 183 रा.का. अधिनियम का दावा पेश किया हो और उसमें वादीगण का कब्जा माना हो। यह बात गलत है कि 28.3.2017 में कचरिया ने स्टाम्प प्रदर्श–2 लिख दिया हो की वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा हो और उनके हिस्से की हो।

प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनि गई। वादी अभिभाषक द्वारा दावे को ही अपनी बहस होना बताया। प्रतिवादी अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीया ने नियमानुसार भूमि खरिद कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण द्वारा खातेदार घोषित होने के सम्बन्ध कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। पैतृक भूमि होने का कोई दस्तावेज वादीगण ने पेश नहीं किया है। रजिस्ट्री निरस्त करने के अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं अतः वादीगण का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन करने एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद संलग्न दस्तावेज खाते की पासबुक मय नक्षा प्रदर्श–01 है। प्रतिवादी को जिस कचरीया ने भूमि विक्रय की थी उसका शपथ–पत्र प्रदर्श–02 हैं। प्रतिवादीया की ओर से प्रस्तुत जवाब मय काउण्टरसुट व दस्तावजे विक्रय पत्र जो कचरिया से खरीदा प्रदर्श A–1 है। रजिस्ट्री के आधार पर खाता जमाबन्दी में दर्ज हुआ जो प्रदर्श A–2 संवत् 2075–77 का अवलोकन किया जाकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या 01</u> :– आया वाद–पत्र में वर्णित भूमि पैतृक होने से तथा वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य की कृषि भूमि होने से वादीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

(वादीगण साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण की ओर से दस्तावेज खाते की पासबुक मय नक्षा प्रदर्श–1 व प्रतिवादीया को [illegible] थी उसका शपथ–पत्र प्रदर्श–2 पेश कर गवाह राजु पिता कचरिया का [illegible] पेश किया। जिसमें राजु द्वारा यह कथन किया कि वादग्रस्त [illegible] बटवारे में वादीगण के हक में आयी है। लेकिन गलती से ख[illegible] प्रतिवादी संख्या 01 ने फर्जी तरीके से अपने नाम ह[illegible] तनकी के विरूद्ध प्रतिवादीया द्वारा दस्तावेज विकय विल्लेख प्रदर्श–1 व जमाबंदी संवत् 2075 से 78 पेश की। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 02 :– आया वादग्रस्त भूमि का अधिकारी कचरिया पिता खेमला था जिसकी वंशवली में वादीगण नही आते है एंव मूल खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को विक्रय की जा चुकी है। अतः वादीगण का वाद निरस्तनीय है।

(प्रतिवादी साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादीया द्वारा दस्तावेज बेचाननामा प्रदर्श–01 एवं राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–2 पेश की। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से यह साबित होता है कि मूल पुरूष कचरिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 रतन को वादग्रस्त भूमि का बेचान किया जा चुका हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– आया वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

(प्रतिवादी साबित करें)

उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादीया द्वारा दस्तावेज बेचाननामा प्रदर्श–01 एवं राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–2 पेश की। उक्त दस्तावेजो के अवलोकन से यह साबित होता है कि मूल पुरूष कचरिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 रतन को वादग्रस्त भूमि का बेचान किया जा कर प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि की खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की हकदार है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में व वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 अनुतोष :– तनकी संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध व तनकी संख्या 02 व 03 प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित की जाकर अधिक तनकिया प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित की गई हे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद व संलग्न दस्तावेजो एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजो तथा दोनो पक्षो की साक्षो का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक हो इसका कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत काउण्टरसुट व संलग्न दस्तावेज बेचाननामा प्रदर्श–01 एवं राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2075 से 78 प्रदर्श–2 के अवलोकन से यह साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि में नियमानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिस पर वादीगण द्वार व्यवधान पैदा कर प्रतिवादी संख्या 01 के शांतिपूर्ण काश्त में बाधा उत्पन्न की जा रही है। वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत काउण्टरसुट प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित किया जाकर वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 में दर्ज खाता संख्या 793 नया 716 पुराना [illegible] 919 रकबा 0.04 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, [illegible] किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे प्रतिवादी संख्या 01 की [illegible] खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारीज कर वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर प्रस्तुत काउण्टरसुट स्वीकार कर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 में दर्ज खाता संख्या 793 नया 716 पुराना के खसरा 3919 रकबा 0.04 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे प्रतिवादी संख्या 01 को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 00005/2019

उनवान

1. स्व. लील पत्नि स्व. कचरिया तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा के वारिसान पूर्व से पक्षकार।
2. गलबा पिता स्व. कचरीया तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।
3. डूंगर पिता स्व. कचरीया तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. राजु पिता स्व. कचरीया तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादीगण

बनाम

1. रतन पत्नि प्रेमजी तिरगर जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर प्रस्तुत काउण्टरसुट स्वीकार कर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 में दर्ज खाता संख्या 793 नया 716 पुराना के खसरा 3919 रकबा 0.04 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिकमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे प्रतिवादी संख्या 01 को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा [illegible] मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख [illegible] शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 30.12.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:44 IST
Reason: SelfAttested